उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – 39/2021

राधिका देवी बनाम श्रवण गोप

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
08.03.2022	**आदेश**	

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/2020–21 श्रवण गोप बनाम राधिका देवी में दिनांक 22.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S 16 of Tenants Holdings (Maintainance of records) ACT के तहत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिविजन दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दायर रिविजन वाद में विवादित भूमि मौजा बुजुर्ग जमीरा थाना पतरातु हल्का 9 खाता न0 118 प्लॉट न0 398, 399 एवं 882 रकवा क्रमशः 25 डी0, 02 डी0 एवं 4 1/2 डी0 कुल 31 1/2 डी0 भूमि से संबंधित है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि वास्तविक भू–स्वामी सोमेन दास गुप्ता से निबंधित केवाला संख्या 1304 दिनांक 03.9.2019/04.09.2019 द्वारा खरीदगी से हासिल है। जिसका अंचल कार्यालय, पतरातु से दाखिल खारिज वाद संख्या 36/2020–21 द्वारा नामांतरण कराकर मालगुजारी रसीद प्राप्त किये। उक्त दाखिल खारिज के बावत विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/20–21 दायर किया गया। जो दिनांक 04.01.2021 को अंगीकृत हुआ। जिसपर भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा उक्त

82

वाद में बिना मौका दिये अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा किये गये दाखिल खारिज को निरस्त करते हुए पुनः नये सिरे से सुनवाई करते हुए विधिवत् आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा किये गये आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा दिनांक 14.08.2020 को स्वीकृत किये गये दाखिल खारिज को बहाल रखने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के वास्तविक स्वामी सोमेन दास गुप्ता ने मौजा बुजुर्ग जमीरा थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न0 118 प्लॉट न0 398 रकबा 0.94 ए0 भूमि को द्वितीय पक्ष श्रवण गोप के पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में दिनांक 26.01.2014 को लिखित एकरारनामा कर दिया। द्वितीय पक्ष को इसके बारे में पता नही है कि सोमेन दास गुप्ता ने गलत इरादा से मौजा बुजुर्ग जमीरा थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न0 118 प्लॉट न0 822 रकबा 0.0450 ए0 प्लॉट स0 399 रकबा 0.02 एव एवं प्लॉट सं0 398 रकबा 0.25 ए0 भूमि प्रथम पक्ष को निबंधित केवाला दिनांक 03.09.2019 एवं 04.09.2021 से बिकी एवं हस्तांतरित कर दिया है। सोमेन दास गुप्ता द्वारा विपक्षी के पक्ष में अवैध हस्तांतरण का जानकारी प्राप्त होते ही अपीलार्थी श्रवण कुमार ने प्रथम पक्ष एवं अन्य के विरूद्ध टाईटल सुट संख्या 92/2019 दिनांक 21.12.2019 दायर किया गया है। साथ इनके द्वारा ऑनलाईन दाखिल खारिज आवेदन वाद संख्या 40/2020–21, 39/2020–21, 37/2020–21, 35/2020–21, 36/2020–21 में दिनांक 07.08.2020 में अंचल अधिकारी, पतरातु को आपति आवेदन दिया गया, इसके बावजूद अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा बिना सुनवाई किये दिनांक 14.08.2020 को दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया। इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/2020–21 श्रवण गोप बनाम राधिका देवी में दिनांक 22.03.2021 को किये गये आदेश को यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों द्वारा किये गये दावे एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के बावत द्वितीय पक्ष द्वारा खारिज वाद संख्या 36/2020-21 में दिनांक 07.08.2020 को आपति आवेदन दिया गया था। जिसपर बिना सुनवाई किये अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया। साथ ही प्रश्नगत भूमि के बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि के बावत टाईटल सुट संख्या 92/2019 दिनांक 21.12.2019 दायर किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्य 11/2020-21 श्रवण गोप बनाम राधिका देवी में दिनांक 22.03.2021 को किये गये पारित आदेश के विरूद्ध अन्यथा आदेश पारित करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर दाखिल खारिज रिविजन को अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का आदेश को यथावत् रखा जाता है। अंचल अधिकारी, पतरातु को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को विधिवत् नोटिस निर्गत करते हुए पुनः सुनवाई करते हुए मेरिट के आधार पर आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतरातु को भेजते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। इसी आदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
08.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
08.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.04.08 11:40:52 +05:30
Location: 192.168.0.3